प्र०-1 मानहानि से आपका क्या तात्पर्य है? मान हानि के अभियोग के विरुद्ध कोन-कोन से अपवाद हैं!

उ० - **499. मानहानि**- जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।

स्पष्टीकरण 1-किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा, यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता अपहानि करता, और उसके परिवार या अन्य निकट सम्बन्धियों की भावनाओं को उपहति करने के लिए आशयित हो।

स्पष्टीकरण 2-किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के सम्बन्ध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

उदाहरण

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(क) क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी अवश्य चुराई है, कहता है, "य एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने ख की घड़ी कभी नहीं चुराई ।" जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है।

(ख) क से पूछा जाता है कि ख की घड़ी किसने चुराई है। क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य की ओर संकेत करता है। जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है।

(ग) क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य का एक चित्र खींचता है जिसमें वह ख की घड़ी लेकर भाग रहा है। जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो. यह मानहानि है।

पहला अपवाद-सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है-किसी ऐसी बात का लांछन लगाना, जो किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्य हो, मानहानि नहीं है, यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए। वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

दूसरा अपवाद-लोक सेवकों का लोकाचरण- उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता है, कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

तीसरा अपवाद-किसी लोक प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का आचरण-किसी लोक प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, और उसके शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

चौथा अपवाद-न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन-किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है।

स्पष्टीकरण-कोई जस्टिस ऑफ दी पीस या अन्य आफिसर, जो किसी न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारम्भिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपरोक्त धारा के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

पांचवां अपवाद-न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्षियों तथा संपृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण-किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में, चाहे. वह सिविल हो या दाण्डिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति के शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

छठा अपवाद-लोक कृति के गुणागुण-किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में, जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता हो, न कि उसके आगे, कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

(क) जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है, वह उस पुस्तक को लोक के निर्णय के लिए रखता है।

(ख) वह व्यक्ति, जो लोक के समक्ष भाषण देता है, उस भाषण को लोक के निर्णय के लिए रखता है।

(ग) वह अभिनेता या गायक, जो किसी लोक रंगमंच पर आता है, अपने अभिनय या गायन को लोक के निर्णय के लिए रखता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सातवां अपवाद-किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई परिनिन्दा-किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो, जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में, जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार सम्बन्धित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावपूर्वक की गई कोई परिनिन्दा मानहानि नहीं है।

आठवां अपवाद-प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना-किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक लगाना, जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषयवस्तु के सम्बन्ध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों, मानहानि नहीं है।

द्रष्टान्त

यदि क एक मजिस्ट्रेट के समक्ष य पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है, यदि क एक सेवक य के आचरण के सम्बन्ध में य के मालिक से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, यदि क एक शिशु य के सम्बन्ध में य के पिता से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है।

500. मानहानि के लिए दण्ड- जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper 6th, Paper Name- भारतीय दंड संहिता Unit -5th

(Indian Penal Code)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र०-2 भारतीय दंड संहिता की धरा 498-A के अंतर्गत पति या पति रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के संबंद में क्या प्रावधान दियें हैं ?

उ०- 498-क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना-जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

धारा 498-क की संवैधानिकता- इन्दर राज मलिक बनाम सुनिता मलिक के मामले में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 20 (2) का अतिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

भी इसी प्रकार के मामलों से सम्बन्धित है अतएव एक ही विषय पर दोनों विधियाँ मिलकर खतरे के सिद्धान्त जैसी स्थिति पैदा करती है। परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया। यह निर्णय दिया गया कि धारा 498-क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में अन्तर है क्योंकि धारा 4 के अन्तर्गत मात्र दहेज की माँग करना दण्डनीय है। इस धारा में अपराध के गठन हेतु क्रूरता का अस्तित्ववान होना आवश्यक नहीं है । धारा 498-क इस अपराध के गुरुतर (aggravated) को अपराध घोषित करता है। यह धारा पत्नी अथवा उसके सम्बन्धियों से ऐसी सम्पत्ति की माँग को दण्डित करती है जो उसके प्रति क्रूरतापूर्ण होते हैं । अतएव यह धारा असंवैधानिक नहीं है।

इन्दर राज मलिक बनाम **सुनिता मलिक** के वाद में यह प्रेक्षित किया गया कि जहाँ परिवादकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उसे बार-बार यह कहकर डराया जाता रहा है कि यदि वह अभियुक्त की माँग को अपने पति पर सम्पत्ति बेंचने का दबाव डालकर नहीं मनवाती है तो उसके पुत्र को उठा ले जाया जायेगा, ऐसी धमकी धारा 498-क के अन्तर्गत आती है। इस धारा के स्पष्टीकरण में क्रूरता शब्द को परिभाषित किया गया है। किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि वह अथवा उसका कोई सम्बन्धी परपीडन के कारण संपत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की मांग मान ले, क्रूरता कहा जायेगा।

रमेशचन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में यह प्रेक्षित किया गया कि धारा 498-क के अन्तर्गत परिवाद में सफलता तभी मिलेगी जब यह सिद्ध किया जायेगा कि पति के द्वारा धन की अवैध मांग की गयी है। विवाह के समय बिना दहेज के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

तय किये केवल माँग अपराध नहीं है। ससुर के द्वारा माँग को मानने से मात्र इन्कार करना माँग को अवैध नहीं बनाता जब तक कि उक्त माँग दहेज की परिभाषा के अन्दर न आये।

सतीश कुमार बात्रा एवं अन्य बनाम **हरियाणा राज्य** के वाद में पति अपने चार रिश्तेदारों के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के अन्तर्गत अपराध हेतु आरोपित था प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता के पति के चाचा एवं चाची के विरुद्ध जोर दिया गया था पीड़िता एवं उसके सम्बन्धियों के साक्ष्यों में विरोध और सुधार करना पाया गया। प्रथमतया चाचा एवं चाची की अपेक्षा पति के सम्बन्धियों से सम्बन्धित साक्ष्य में अधिक सुधार करना पाया गया । तथापि पति के चाचा एवं चाची को दोषमुक्त किया गया था यह अभिनिर्धारित किया गया कि मात्र पति के चाचा एवं चाची की दोषमुक्ति अनुचित थी। साक्ष्य कि दृष्टि सभी सम्बन्धी दोषमुक्ति के अधिकारी हैं। जहाँ तक पति का सम्बन्ध है उसके विरुद्ध साक्ष्य स्पष्ट और अकाट्य (cogent) है और इस कारण पति की दोषसिद्धि उचित अभिनिर्धारित की गयी।

यह भी इंगित किया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अधीन दहेज हत्या के अपराध की अपेक्षा धारा 498-क के अधीन पत्नी के साथ क्रूरता भिन्न अपराध है। परन्तु क्रूरता दोनों ही अपराधों का उभयनिष्ठ (common)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

तत्व है। यह भी स्पष्ट किया गया कि पत्नी के साथ क्रूरता आत्महत्या के दुष्प्रेरण से सुभिन्न है और दोनों में भेद आशय का है।

दहेज के लिये उत्पीड़न (Harassment) - प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य2 क के वाद में पत्नी द्वारा पति और उसके सम्बन्धियों जैसे, शिकायतकर्ता की ननद और अविवाहित देवर के विरुद्ध उत्पीड़न और दहेज की मांग के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी गयी । दोनों सम्बन्धियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाये गये थे अपीलांट अन्य स्थान पर रहते थे। वे न तो शिकायतकर्ता और उसके पति के साथ रहते थे और न घटना (incident) स्थल पर आये। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन तथ्यों के आलोक में शिकायत में सम्बन्धियों को फंसाने का उद्देश्य पति के सम्बन्धियों का उत्पीड़न और अवमानित (humiliation) करना था । अतएव शिकायतकर्ता को ऐसी शिकायत को आगे बढ़ाने या जारी रखने की अनुमति देने का अर्थ विधि की प्रक्रिया (process) का दुरुपयोग होगा अतएव इसे निरस्त करने योग्य अभिनिर्धारित किया गया। साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अधिवक्ता परिषद् के सदस्यगण ऐसी शिकायतों को एक मूलभूत (Basic) मानवीय समस्या के रूप में समझें और उन्हें. पक्षकारों को ऐसी समस्या का आपसी बातचीत से समाधान करने में हर गम्भीर प्रयास करने में सहायता करना चाहिये।

धारा 498-क की संवैधानिकता-सतीश कुमार बात्रा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य24 के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मात्र इस कारण कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के अधीन पत्नी के प्रति क्रूरता के अपराध का

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किये जाने का आधार नहीं है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र०-3 आपराधिक अतिचार को आवशयक तत्व क्या है?

उ०- (a) 441. आपराधिक अतिचार-जो कोई ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, अथवा

ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहाँ विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे,

वह "आपराधिक अतिचार" करता है, यह कहा जाता है।

टिप्पणी

जो कोई किसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, "आपराधिक अतिचार" का अपराध कारित करता है। यदि ऐसा व्यक्ति दूसरे की सम्पत्ति पर वैधत प्रवेश करता है किन्तु संपत्ति से सम्बंधित किसी व्यक्ति को अपमानित करने या छुब्द करने के आशय से अवैध रूप से संपत्ति पर बना रहता है तो बह इस धरा में वर्णित अपराध का दोषी होगा ।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

तत्व -इस धारा के निम्नलिखित तत्व हैं

(1) किसी दूसरे व्यक्ति के आधिपत्य में विद्यमान किसी सम्पत्ति में या सम्पत्ति पर प्रवेश,

(2) यदि यह प्रवेश विधिसम्मत है, तो विधिविरुद्ध रीति से ऐसी सम्पत्ति में अथवा ऐसी सम्पत्ति पर बना रहना।

(3) ऐसी प्रविष्टि या अवैध रीति से बना रहना,

(क) कोई अपराध कारित करने या,

(ख) किसी व्यक्ति को जिसके आधिपत्य में वह सम्पत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से होना चाहिये।

1. किसी दूसरे व्यक्ति के आधिपत्य में किसी सम्पत्ति में अथवा किसी सम्पत्ति पर प्रवेश करता है- इस धारा में प्रयुक्त "सम्पत्ति" शब्द का तात्पर्य स्थावर मूर्त सम्पत्ति से है न कि अमूर्त सम्पत्ति जैसे मछली मारने का अधिकार या फेरी का अधिकार। अभिकथित अतिचारी के अतिरिक्त सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के आधिपत्य में होनी चाहिये। यदि सम्पत्ति शिकायतकर्ता के वास्तविक कब्जे में नहीं है, तो यह अपराध संरचित नहीं होगा कोई व्यक्ति दूसरे की जमीन पर प्रवेश किये बिना भी आपराधिक अतिचार का दोषी हो सकता है। उदाहरण के लिये यदि वह दूसरों को भू-स्वामी की इच्छा के विरुद्ध एवं उसके द्वारा विरोध

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

किये जाने पर भी कोई भवन उस भूमि पर निर्मित करने के लिये प्रेरित करता है। एक प्रकरण में अ ने ब की भूमि के समीप एक हिरन पर प्रहार किया और उसे मारने के प्रयोजन से ब की भूमि पर उसका पीछा किया यद्यपि ऐसा न करने के लिये बने को चेतावनी भी दी थी। यह अभिनिर्धारण प्रदान किया गया कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि इस अपराध के लिये अपेक्षित आशय का अभाव था।

2. अपराध करने का आशय-आपराधिक अतिचार का अपराध अभियुक्त के आशय पर निर्भर करता है न कि कार्य की प्रकृति पर यदि कोई व्यक्ति आसन्न विनाश से अपने परिवार और अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये अपने पड़ोसी की भूमि में प्रवेश करता है और उसके द्वारा निर्मित बांध के रक भाग को काट देता है, तो वह आपराधिक अतिचार का दोषी नहीं है। इस धारा के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सम्पत्ति पर प्रवेश कोई अपराध करने या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से होना चाहिये। यदि किसी अन्य आशय से प्रवेश किया गया है तो यह धारा लागू नहीं होगी। अभियुक्त ने जो किसी स्कूल समिति का उपाध्यक्ष था, स्कूल परिसर में प्रवेश कर प्रधानाध्यापक तथा दो अन्य छात्रों के साथ मार-पीट किया। इस घटना के समय स्कूल परिसर प्रधानाध्यापक के आधिपत्य में था। उसने प्रधानाध्यापक को यह भी धमकी दी कि जैसे ही वह स्कूल के बाहर आयेगा उसे शारीरिक उपहति कारित की जायेगी। यह निर्णय दिया गया कि वह आपराधिक अतिचार का दोषी है अ, ब के कम्पाउण्ड से इस नोटिस बोर्ड "अतिचारी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अभियोजित किया जायेगा" के बावजूद गुजरता है। यहाँ अ अतिचार के लिये दोषी होगा यदि जमीन पर होकर गुजरने मात्र से ब को क्षोभ होता है। इस प्रकरण में क्षोभ होना सम्भावित है क्योंकि अतिचार को रोकने के लिये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है।

3. विधिपूर्वक प्रवेश कर वहाँ विधि विरुद्ध रूप से बने रहना-किसी दूसरे के परिसर पर किसी व्यक्ति का प्रवेश मूलत: विधिपूर्वक हो सकता है किन्तु यदि वह व्यक्ति उस सम्पत्ति पर इस धारा में उल्लिखित किसी आशय से बना रहता है तो उसका इस प्रकार बना रहना आपराधिक अतिचार होगा।

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में विद्यमान भूमि में इस सद्भावपूर्वक विश्वास के साथ प्रवेश करता है कि वहां प्रवेश करने का उसे अधिकार है किन्तु वह किसी व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से उस भूमि पर प्रवेश नहीं करता है, तो भले ही भूमि पर उसे कोई अधिकार न प्राप्त हो, उसे आपराधिक अतिचार के लिये दोषसिद्धि प्रदान की जायेगी क्योंकि भूमि में प्रवेश इस धारा में वर्णित किसी भी आशय से नहीं किया गया था।

उदाहरण-एक प्रकरण में ब ने अ की गाय विधिपूर्वक छीन लिया तथा उसे मवेशी खाने में बन्द करा दिया। अ अपनी गाय छुड़ाने के लिये मवेशी खाने पहुँचा और ताला खोल कर अपनी गाय हाँक ले गया तथा इस प्रक्रिया में उसने पहरेदार को हल्की उपहति भी कारित किया क्योंकि यह उसे ऐसा करने से मना कर रहा. था। अभियुक्त को आपराधिक अतिचार के लिये दोषसिद्धि प्रदान की गयी। यदि

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

कोई व्यक्ति किसी कब्रगाह की घेराबन्दी कर उसे कृषि के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाता है तो वह इस अपराध का दोषी होगा, क्योंकि उसके इस कार्य से उन लोगों के क्षुब्ध होने की सम्भावना थी जो कब्रगाह का उपयोग कर रहे थे। एक प्रकरण में एक व्यक्ति ने, स के घर में उसकी विधवा बहन के साथ अवैध सम्भोग करने के आशय से प्रवेश किया। अभियुक्त को इस धारा में वर्णित अपराध का दोषी घोषित किया गया क्योंकि इस अवैध सम्भोग से स का क्षुब्ध होना अवश्यम्भावी था 58 इसी प्रकार यदि, अ ब के मकान में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश कर उसकी पत्नी स के नियन्त्रण पर व्यभिचार करता है तो 'अ 'इस धारा के अन्तर्गत आपराधिक अतिचार तथा धारा 497 के अन्तर्गत जारकर्म के अपराध का दोषी होगा दूसरे की पत्नी के साथ सम्भोग करना यदि बिना पति की सहमति के है तो वह अपराध होगा और पति व्यभिचारी को अभियोजित कर सकता है। इस मामले में अ ने ब की पत्नी के साथ जारकर्म किया जो एक अपराध है अतएव वह आपराधिक अतिचार का भी दोषी होगा। अ किसी प्रदर्शनी भवन में बिना टिकट लिये प्रवेश करता है किन्तु यदि उसका आशय इस धारा में उल्लिखित कोई अपराध कारित करना नहीं था तो उसका अपराध, अतिचार नहीं होगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(B) कूट- रचना को परिभाषित कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि एक व्यक्ति के अपने नाम हस्ताक्षर किन परिस्थितियों में कूट- रचना माने जा सकते हैं !

उ०- 463. कूट रचना-[जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए] या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या किया जा सके, वह कूट-रचना करता है।

स्पष्टीकरण 1-किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में आ सकेगा।

दृष्टान्त

(क) क एक विनिमयपत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमयपत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था क ने कूटरचना की है।

(ख) के एक कागज के टुकड़े पर शब्द " प्रतिगृहीत किया" लिखता है और उस पर य के नाम के हस्ताक्षर इसलिए करता है कि ख बाद में इस कागज़ पर एक विनिमयपत्र जो ख ने य के ऊपर किया है, लिखे और उस विनिमयपत्र का इस

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

प्रकार परक्रामण करे, मानो वह य के द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया गया था। क कूटरचना का दोषी है, तथा यदि ख इस तथ्य को जानते हुए क के आशय के अनुसरण में, उस कागज पर विनिमयपत्र लिख देता है, तो ख भी कूटरचना का दोषी है।

(ग) क अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार देय विनिमयपत्र पड़ा पाता है। क उसे उठा लाता है और यह विश्वास कराने के आशय से स्वयं अपने नाम पृष्ठांकित करता है कि इस विनिमयपत्र पर। पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके आदेशानुसार वह देय है। यहाँ, क ने कूटरचना की है।

स्पष्टीकरण 2-कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में रची गई थी, कूटरचना की कोटि में आ सकेगा।

द्रष्टान्त

क एक कल्पित व्यक्ति के नाम कोई विनिमय पत्र लिखता है, और उसका परक्रामण करने के आशय से उस विनिमयपत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपटपूर्वक प्रतिगृहीत कर लेता है। क कूटरचना करता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

कूटरचना (Forgery) की परिभाषा, इस संहिता की धारा 463 में दी गयी है। किसी मिथ्या दस्तावेज या उसके किसी भाग की धारा 463 में वर्णित किसी भी आशय से रचना करना, कूटरचना का सृजन करता है। धारा 464 में उन कृत्यों का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा मिथ्या दस्तावेज का निर्माण होता है।

स्टेट ऑफ यू० पी० बनाम **रनजीत सिंह** के मामले में प्रत्यर्थी जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का स्टेनोग्राफर था, के ऊपर अभियुक्त खेलावन के पक्ष में एक कूटकृत जमानत आदेश की साक्ष्य गढ़ने का आरोप था। उच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षित किया कि चूंकि अभियुक्त ने जमानत आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किया था, उसे एक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 466। और 468 के अन्तर्गत अपराधों के आवश्यक तत्व पूर्ण नहीं होते हैं। प्रश्नगत जमानत आदेश अभियुक्त द्वारा लिखा गया था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इन तथ्यों के आलोक में कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 464 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज की संरचना किये तब कहा जाता है जबकि वह बेईमानीपूर्वक अथवा कपट पूर्वक किसी दस्तावेज या उसके किसी भाग को रचित, हस्ताक्षरित मुद्रांकित या निष्पादित करता है, उच्च न्यायालय का यह तर्क कि हस्ताक्षर के बिना जमानत का आदेश दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 464 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, पूर्णतया संपोषणीय नहीं है।

आगे यह भी प्रेक्षित किया गया कि ऐसा मिथ्या दस्तावेज तैयार करना जिसे कि न्यायालय के दस्तावेज के रूप में माना जा सके और ऐसे दस्तावेज के कारण

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जो व्यक्ति जमानत पर छूटने का अधिकारी नहीं है उसे जमानत पर रिहा कर दिया जा सके तब ऐसी दशा में नि:सन्देह रूप में लोक (सामान्य जनता) को क्षति या नुकसान कारित हुआ है और इसलिये ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों ऐसी परिस्थिति में जबकि अभियुक्त जिसने कि ऐसे मिथ्या दस्तावेज की रचना की है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 466 के अधीन अपराध हेतु दोषी न ठहराया जाय। किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य कपटपूर्ण किया गया तब कहा जाता है जबकि वह उस कार्य को कपट के आशय से न कि अन्यथा रूप में करता है। कपट में दो तत्व सम्मिलित हैं प्रवंचित किये गये व्यक्ति के साथ कारित प्रवंचना एवं उसे होने वाली क्षति । क्षति का अर्थ आर्थिक हानि से भिन्न अभिप्रेत है और इसमें ऐसी कोई हानि शामिल है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या इस प्रकार की अन्य हानि के रूप में हो।

प्रवंचक को होने वाला कोई लाभ या प्रसुविधा लगभग सदैव किसी प्रवंचित किये गये व्यक्ति को हानि या क्षति (detriment) कारित करेगी किसी ऐसे कूटकृत जमानत आदेश को तैयार करना जिसका उपयोग कर सम्बन्धित व्यक्ति न्यायालय तथा सामान्य जनता को प्रवंचित कर रिहाई का लाभ उठाता है उसे केवल यही कहा जा सकता है कि उसने उस दस्तावेज को कपटपूर्वक रचित किया है और उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 466 के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper 6th, Paper Name- भारतीय दंड संहिता Unit -5th

(Indian Penal Code)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.